

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] No. 430] नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2016/आषाढ़ 1, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2016/ASHADHA 1, 1938

विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2016

सा.का.नि. 618(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003, (जिसे इसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में,-
 - (i) उपनियम (3) में "चार सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार पाँच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ii) उपनियम (5) में "तीन हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।
 - 3. मूल नियम के नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "(2) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की उम्र तक इनमें से जो पूर्वतर के लिए पद धारण करेंगे।"

[फा. सं. ए-60011/10/2012-प्रशा.-III(एलए)/एलएपी(न्या.)]

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

3139 GI/2016

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3(अ), तारीख 2 जनवरी, 2003 को प्रकाशित किए गए थे तथा पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 373(अ), तारीख 13 मई, 2008 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2016

- **G.S.R. 618(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government in consultation with the Chief Justice of India, hereby makes the following rules further to amend the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Permanent Lok Adalat (Other Terms & Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3,—
 - (i) In sub-rule (3), for the words "rupees four hundred", the words "one thousand and five hundred rupees" shall be substituted;
 - (ii) In sub-rule (5), for the words "rupees three thousand", the words "five thousand rupees" shall be substituted.
- 3. In the principal rules, in rule 4, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(2) The Chairman and other persons shall hold office for a term of five years or till the age of sixty five years, whichever is earlier".

[F. No. A-60011/10/2012-Admn-III (LA)/LAP (JUS)]

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 3(E), dated the 2nd January, 2003 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 373(E), dated the 13th May, 2008.